सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

लखनऊ वृहस्पतिवार, 20 मई, 1976
बैशाख 30, 1898, शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार,
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2289/17–वि–1–56–76
लखनऊ, 20 मई, 1976

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फल पौधशाला(विनियमन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 मई, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–21, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला(विनियमन) विधेयक, 1976
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1976)
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेन्स देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक स प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2— इस अधिनियम में:—

(क) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारों से है।

(ख) ''फल पौधशाला''का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहॉ प्रतिरोपण के लिए फल के पौधों का उत्पादन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत :—

(1) 0.2 हेक्टेयर स कम क्षेत्रफल की फल पौधशाला नहीं है।

(2) सरकार की या उसके द्वारा प्रबन्धित पौधशाला नहीं है।

(ग) ''फल के पौधे '' का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे से है जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकते हैं, और उसके अन्तर्गत कुडनकाष्ठ, बीजांकुर उपरोपण दाबा, गूट्टी बीज, कन्द, अंकुर, प्रकन्द(राइजोम) और ऐसे किसी पौधे की कलम भी है।

(घ) ''लाईसेंस '' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाईसेंस से है।

(ङ) ''लाईसेंसधारी'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कोई लाईसेंस रखने वाले व्यक्ति से है।

(च) ''लाईसेंस प्राधिकारी '' का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश से है तथा इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस प्राधिकारी के किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे अधिकारी से भी है, जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से निम्न न हो।

(छ) ''स्वामी'' का तात्पर्य किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध मे उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसका ऐसी पौधशाला के कार्य—कलाप पर अन्तिम नियंत्रण हो, और उसके अन्तर्गत ऐसी फल पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति भी है।

(ज) ''मूल वृन्त'' का तात्पर्य किसी ऐसे फल के पौधे या उसके भाग से है जिस पर किसी फल के पौधे के किसी भाग की कलम या आंख लगाई जाती है।

(झ) ''उपरोपिका'' का तात्पर्य किसी फल के पौधे के ऐसे भाग से है जो मूल वृन्त पर कलम या आंख के रूप में लगाया जाता है।

पौधशाला कारोबार करने पर निर्बन्धन

3—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात, या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता है, उनमें से जो भी पश्चात वर्ती हो, तीन माह की समाप्ति के पश्चात सिवाय इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाईसेंस के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न उसे जारी रखेगा।

(2) जहॉ एक व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक, फल पौधशाला हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में या विभिन्न नगरों या ग्रामों में वहॉ ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के सम्बन्ध में अलग—अलग लाईसेंस दिये जायेंगे।

लाइसेंस के लिए आवेदन

4— (1) इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन—पत्र लाईसेंस प्राधिकारी को विहित प्रपत्र में, और विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाईसेंस नहीं दिया जायेगा, यदि लाईसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि ———

(क) वह फल पौधशाला ऐसी फल के पौधों के जिनके सम्बन्ध में लाईसेंस दिये जाने के लिए आवेदन किया गया है,उचित उत्पादन के उपयुक्त नहीं है।

(ख) आवेदक ऐसी फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है।

(ग) आवेदन पत्र के साथ विहित फीस नहीं दी गई है।

(घ) आवेदक इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध–दोष हुआ है।

लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण

5(1) धारा 4 के अधीन दिय गया लाईसेंस ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो विहित को जाये और उसको इस निमित्त आवेदन–पत्र देने और विहित फीस देने पर लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है जो विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जायेगा यदि लाईसेंस प्राधिकारी को यह प्रतोत हो किः–

(क) धारा 4 के उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है,

(ख) लाईसेंसधारी ने इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों या लाईसेंस के निबंधनो और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है।

लाइसेंस का निलम्बन और रद्द किया जाना

6–(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया लाइसेस निलम्बित या रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हों किः–

(क) धारा 5 की उपधारा 2 में उल्लिखित कोई आधार वर्तमान है, या

(ख) लाईसेंस धारी ने फल पौधशाला पर कब्जा या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड दिया है या उसे चलाना बन्द कर दिया है।

(2) जहॉ कोई लाईसेंस निलम्बित या रद्द किया जाय वहॉ लाईसेंसधारी उसके लिए न तो किसी प्रतिकर का और न लाईसेंस के लिए अपने द्वारा दी गयी किसी फीस की वापसी का हकदार होगा।

आदेश में कारण दिये जायेंगे

7–(1) धारा–4 के अधीन लाईसेंस देने से इन्कार करने का, या धारा–5 के अधीन लाईसेंस का नवीनीकरण करने से इन्कार करने का, या धारा–6 के अधीन लाईसेंस को निलम्बित या रद्द करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें उसके समर्थन के कारण दिये जायेंगे और ऐसा प्रत्येक आदेश आवेदक या सम्बन्धित लाईसेंसधारी को संसूचित किया जायेगा।

(2) उपधारा– (1) मे निर्दिष्ट कोई आदेश देने से पूर्व लाईसेंस प्राधिकारी, यथास्थिति आवेदक या लाईसेंसधारी की सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देगा।

लइसेंस की दूसरी प्रति

8– जहॉ कोई लाईसेंस खो जाये, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाये, या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाये, वहा लाईसेंस प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर लाईसेंस की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अपील

9– (1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने से इन्कार करने के, या धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसे नवीकृत करने से इन्कार करने के या धारा 6 की उपधारा

(1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने के लाइसेंस प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परन्तु अपील प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त कारणवश दायर नही कर सकता था।

2— अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझें।

3— इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

10—(1) राज्य सरकार स्वप्रेरण से या व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन—पत्र देने पर किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझें।

परन्तु राज्य सरकार, धारा 9 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी अपील के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पूर्व, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी।

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, जिसमें राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले का अभिलेख मंगाती है, इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को, सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

2— इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

11— प्रत्येक लाईसेंसधारीः—

लाइसेंस धारी के कर्तव्य

(क) उत्पादन और विक्रय के लिए उपरोपिका या मूल वृन्त से सम्बन्धित, लाईसेंस में विनिर्दिष्ट किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के ही फल के पौधे लगायेगा जैसा लाईसेंस प्राधिकारी निर्देश दे।

(ख) प्रत्येक मूल वृन्त और प्रत्येक उपरोपिका के मूल या स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेंगीः—

1— प्रयुक्त मूल—वृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो,

2— फल के पौधों को उगाने में उपयुक्त उपरोपिका का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम यदि कोई हो,

(ग) फल के पौधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पौधशाला स्थल और मातृ वृक्ष को भी कीट, नाशीकीट और पौधों के रागों से मुक्त रखेगा।

(घ) फल के पौधे ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा लाईसेंस प्राधिकारी निर्देश दे।

(ङ) विक्रय के लिए अभिप्रेत किसी पैकेज में आवेष्टित प्रत्येक किस्म के फल के पौधे का नाम और विहित रीति में यथा अवधारित उसकी आयु, उसके लेबिल पर स्पष्ट से विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(च) विक्रय या वितरण के लिए केवल ऐसे फल के पौधे देगा जो किसी प्रकार के कीट, नाशीकीट या पौधों के रोग से पूर्णतया मुक्त हो।

लाइसेंसधारी लेखाबही रजिस्टर रखेगा

12– प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जो विहित की जाय।

फल के आयात निर्यात या विनियमन

13– राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल के पौधों की विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट, नाशीकीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनो और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें, वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नस्ल(अभिजाति) के या किसी सांक्रमिक या सांसर्गिक नाशीकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों के राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उसके विरूद्ध जाने या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्धि कर सकता है।

14– जो कोई भी, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध–दोष होने पर जुर्माने से जो रू0–5,000/– तक हो सकता है अथवा कारावास से जिसकी अवधि 06 माह तक हो सकती है, अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

15–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनलब्धता से किया गया या अपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनार्थः–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

लाइसेंस प्राधिकारी की शक्ति

16– इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिवाय लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी शिकायत पर कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

17– लाईसेंस प्राधिकारीः–

(क) किसी लाईसेंसधारी से उसके स्वामित्व या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसे सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह विनिर्दिष्ट करे।

(ख) अपना यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकता है और उसमें स्थित फल के पौधों का और उससे सम्बन्धित लेखाबही और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है।

(ग) फल के पौधों का नमूना ले सकता है और उनका वि"लेषण, परीक्षण या जॉच इस प्रयोजन के लिए नि"चित की गयी प्रयोगशाला में करा सकता है।

सद्भाव से किये कार्य का विवरण

18–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिए आशयिक किसी बात से हुई या संभावित क्षति के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आदेश विषयक अपवाद

19– इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

20– लाईसेंस प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर जारी करें।

नियम

21– इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के उपबन्ध में फीस विहित करने के लिए कोई नियम भी है।

––––––समाप्त––––––––––